



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/661

10.11.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: निर्यातकों एवं आयातकों के लिए भारत आयात निर्यात लैबसेतु दिशानिर्देशों की जानकारी के संबंध में।

आपको सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यातकों और आयातकों के लिए भारत आयात निर्यात लैबसेतु के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत भर के निर्यातकों और आयातकों के साथ परीक्षण और निरीक्षण एजेंसियों को जोड़ने के लिए एक एकल-खिड़की प्रणाली प्रदान करना है।

कृपया अपने संदर्भ के लिए प्रस्तुति का लिंक देखें

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251110021818.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल